विविध पत्रावली 2023/000

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

रेशम सिंह व अन्य बनाम श्रीमती कौशल्या बाई व अन्य

प्रकरण संख्या 2023/048

online #

अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीए

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
19.05.2023	वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 24 मई, 2023 को पेश हो.	
24/5/23	अधिवक्तागण उपस्थित. वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2, द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत कर आदेशिका पर हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान अंकित किए गये। अपने-अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की, वादीगण की पहचान वादीगण के अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा एवं प्रतिवादीगण सं० 1,2, की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री विशाल आहूजा द्वारा की गयी। राज्य सरकार की ओर से जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत किया गया, विस्तृत निर्णय बाद वादीगण स्वीकार किया जाकर पृथक से लिखवाया गया. पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध हो, पत्रावली दायरा पंजिका के इन्द्राज से कम की जाकर निर्णय की पुस्तिका में शामिल हो।	रेशम सिंह बुधसिंह Id by me [signature] Adv 24/5/23 RHI Kaushalya RHI Asha Id. By Adv. Vishal Ahuja [signature] 24/5/23

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार, R.A.S
वाद संख्या 05 /2023
अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रेशम सिंह पुत्र श्री पाला सिंह जाति रायसिख निवासी खाट लवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बुध सिंह पुत्र श्री पाला सिंह जाति रायसिख निवासी खाट लवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

. . . वादीगण

ब नाम

1. श्रीमती कौशल्या बाई पुत्री श्री पाला सिंह पत्नी श्री बगु सिंह जाति रायसिख निवासी थेह कलन्दर जिला फाजिल्का।
2. श्रीमती आशा रानी पुत्री श्री पाला सिंह पत्नी श्री करनैल सिंह जाति रायसिख निवासी मण्डी लाधूका जिला फाजिल्का।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री रांजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादीगण)
	श्री विशाल आहुजा	(प्रति. संख्या 1 व 2)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–3)

दिनांक 25 मई, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 वादीगण की सगी बहिनें हैं। वादीगण के पिता स्व0 श्री पाला पुत्र श्री गहना सिंह जाति रायसिख निवासी खाट लवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 1 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या /59 के गुरब्बा नम्बर 22 की 1.518 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। जिनके वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 कुल 4 विधिक उत्तराधिकारी हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। यह कि वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सहमति लेकर अपनी उक्त भूमि का बंटवारा कर दिया था तथा उक्त भूमि घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण को दे दी थी तथा अर्सा दराज से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा काश्त कर रहें है तथा मौका पर वादीगण की फसले खड़ी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से कहा कि वह घरू बंटवारानामा के अनुसार कृषि भूमि वादीगण के नाम करवा देवे तो उन्होने कहा कि आप घरू बंटवारा अनुसार काश्त करो, जब भी तुम चाहोगे, भूमि तुम्हारे नाम करवा देंगी। इसी विश्वास पर वादीगण ने अपने उक्त रकबा में काफी मेहनत करके व रूपया खर्च करके उक्त रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रति0 संख्या 1 व 2 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 व 3 टाल मटोल करते रहे मगर दिनांक 01.05.2023 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार भूमि नाम करवाने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। इस प्रकार वादीगण द्वारा भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है में से वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने व पृथक से लगान कायम करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 चक 2 जे बड़ा व खातेदार पाला सिंह व उसकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 24.05.2023 प्रस्तुत किया। वादीगण की शिंनाख्त अधिवक्ता श्री रांजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता अधिवक्ता श्री विशाल आहूजा के द्वारा की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा हक परित्याग के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.05.2023, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 चक 1 जे बड़ा के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.05.2023 के अनुसार वादीगण रेशम सिंह व बुध सिंह जाति रायसिख सा0 खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 1 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50/59 का मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.518 है0 नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में से मृतक पाला सिंह का नाम कमलजन कर उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से बहिब अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार रामस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नेहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक २५ मई 2023 को जारी किया गया।

संजय कुमार
(आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

<u>डिक्री</u>

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार R.A.S.

1. रेशम सिंह पुत्र श्री पाला सिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तह0 व जिला श्रीगंगानगर
2. बुध सिंह पुत्र श्री पाला सिंह जाति रायसिख निवासी खाट लबाना तह0 व जिला श्रीगंगानगर

. . वादीगण

ब ना म

1. श्रीमती कौशल्या बाई पुत्री श्री पाला सिंह पत्नी श्री बगु सिंह जाति रायसिख निवासी थेह कलन्दर जिला फाजिल्का।
2. श्रीमती आशा रानी पुत्री श्री पाला सिंह पत्नी श्री करनैल सिंह जाति रायसिख निवासी मण्डी लाधूका जिला फाजिल्का।

.... प्रतिवादीगण

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादीगण)
श्री विशाल आहुजा (प्रति. संख्या 1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

वाद संख्या 048/2023

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री विशाल आहूजा व पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:–

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.05.2023 के अनुसार वादीगण रेशम सिंह व बुध सिंह जाति रायसिख सा0 खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 1 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50/59 का मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.518 है0 नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में से मृतक पाला सिंह का नाम कमलजन कर उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से बहिब अमल दरामद करें। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूपये ....शून्य....वास्त....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूपये.....शून्य..आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25 मई 2023 को जारी की गई।

संजय कुमार
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
		स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	वकील शुल्क	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
वकील शुल्क	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	व्यय इजराय	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00		
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

संजय कुमार
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner